DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No.: 165590140720122044

Date

:14-07-2020

प्रभावी

: 4 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री UMRAWATI DEVI C/O KAMAL SINGH,

मोहल्ला BARAMURI PO.- B.POLYTECHNIC DHANBAD . , 9608783466

DHANBAD, 826001

एतद दवारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0210003651000M0 वार्ड सं 21 हआ है, आपके स्वः निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रूः निर्धारित किया गया है । इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

· .	स्व-निर्धारित कर की सूचना	
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	84.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	84.00



To be signed by the Applicant

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, www.jharkhandsuda.net पर

2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा l हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।

3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भगतान त्रेमासिक देय होगा

4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।

5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयाविध (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की

दर से साधारण ब्याज देय होगा।

6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र यह कर नियारण जानम स्पन्धानारन रच ना नार ना ना ना जानार पर किए हैं। इस रच-जानारन नाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।

7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इम्रतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

